पत्र संख्या-स्था0-2-रा0क0अ0-पदोन्नति-2021-22/ 1104 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित)

लखनऊः दिनांकः 14 जून, 2022

// प्रोन्नति आदेश //

उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 37(V)/06/पी/एस-5/2021-22, दिनांक 22-04-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में, निम्नांकित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य कर अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रु0 47600-151100) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र0सं0	संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	चयनित कार्मिक का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	संवर्ग	चयन वर्ष
1	2	3	4	5
1.	1388	बीरी सिंह	लिपिक	2021-22
2.	1389	गोकुल चन्द्र	उक्त	उक्त
3.	1390	प्रीतम सिंह	उक्त	उक्त

(क) उपर्युक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता राज्य कर अधिकारी संवर्ग में यथा समय बाद में नियमानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

(ख) उक्त नव पदोन्नत अधिकारियों को सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) / उप आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर अपने कार्यालय में वर्तमान तैनाती के स्थान पर इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें कि वह अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 के निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।

(ग) उक्त अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।

(घ) उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आधारभूत/ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किये जाने पर यदि कोई अधिकारी प्रश्नगत प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि वह राज्य कर अधिकारी के पद का कार्य, आवश्यक क्षमता व ज्ञान के साथ करने का इच्छुक नहीं है और उन्हें तत्काल प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। आधारभूत / व्यावहारिक प्रशिक्षण, राज्य कर अधिकारी के पद के दायित्वों का दक्षता से निर्वहन किये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक है और इसमें नामित किसी भी अधिकारी को इससे किसी भी आधार पर न तो छूट मिलेगी न ही अगले कोर्स में भाग लेने का प्रार्थना को माना जायेगा।

(च) उक्त सभी पदोन्नतियाँ रिट या0सं0 61917/ 2008 बाबू खाँ बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन सशर्त जारी की जा रही है।

ह0/-

(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 37(V)/06/पी/एस-5/2021-22, दिनांक 22-04-2022 के सन्दर्भ में।

2- विशेष सचिव, राज्य कर अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4- निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को राजकीय गजट में आगामी अंक मे प्रकाशनार्थ।

5- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- संबंधित जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त नव पदोन्नत राज्य कर अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना ई-मेल के माध्यम से तथा हार्ड कापी दिनांक तक उपलब्ध कराने के साथ विभागीय प्रशिक्षण हेतु सम्बंधित कार्मिकों की ई-मेल आई0डी, मोबाइल नम्बर, स्थायी पता व शैक्षिक योग्यता अलग से दिनांक 20-06-2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- अपर निदेशक (प्रशिक्षण), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- सम्बंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9- सम्बंधित अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

10- सम्बंधित अनुभाग अधिकारी,राज्य कर, मुख्यालय।

11- सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12- सम्बंधित आरहण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

13- सम्बंधित संयुक्त आयुक्त (कार्य0/वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/उ0न्या0कार्य), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

14- सम्बंधित उप आयुक्त (क0नि0/वि0अनु0शा0/प्रशासन), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

15- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

16- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, स्थापना राजपत्रित अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय।

17- सम्बंधित पटल सहायक/ चरित्र पंजिका पटल (स्थापना राजपत्रित अनुभाग), राज्य कर, मुख्यालय।

18- सम्बंधित अधिकारियों को (नाम से)

14/06/22

(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)
संयुक्त आयुक्त (स्थापना), राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।